

सूचना अनुभाग
संख्या-272/XXII(1)/2016-1(11)2015
देहरादून: दिनांक 25 मई, 2016
अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड इलैक्टॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 व उक्त नियमावली के प्रथम संशोधन दिनांक 09 फरवरी, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्

नियम-6 का संशोधन - मूल नियमावली में नियम-6 जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

बिन्दु संख्या 06
सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड:-

(6) (2) (छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबल आपरेटर्स के प्रसारण अनुबंध की नोटरी प्रमाणित प्रति/DTH से अनुबंध प्रति उपलब्ध करानी होगी।

बिन्दु संख्या 06
सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड:-

(छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबल आपरेटर्स/DTH के द्वारा प्रसारण की सत्यता के संदर्भ में अधिकृत आवेदनकर्ता / चैनल स्वामी द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

नियम-7 का संशोधन - मूल नियमावली के प्रथम संशोधन के नियम-7 जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

बिन्दु संख्या 07
दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना :-

(7) (एक) किसी श्रेणी के सूचीबद्ध चैनल के लिए उक्त दरें प्राइम टाइम बैंड के लिए हैं। यदि किसी कैटेगरी में सूचीबद्ध चैनल प्राइम टाइम बैंड के अलावा अन्य टाइम बैंड में प्रसारण करता है तो उसे उसकी सूचीबद्धता श्रेणी की दर से नीचे की श्रेणी की दरों पर भुगतान किया जायेगा।

विलोपित

34 दिनांक
26/5
(स)

AO
25-5

(7) (दो) इस संशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्ध चैनलों को तीन माह तक पुरानी दरों पर सूचीबद्ध माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्ध चैनल जो नई दरें प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नई सूचीबद्धता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानकों को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्धता निरस्त हो जायेगी।

(दो) पुनः इस संशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्ध चैनलों को आगामी 30 सितम्बर 2016 तक पुरानी दरों पर सूचीबद्ध माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्ध चैनल जो नई दरें प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नई सूचीबद्धता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानकों को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्धता निरस्त हो जायेगी।

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या-272 (1) /XXII(1)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
- 10- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की दो सौ प्रतियाँ सूचना अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

h

25.5.2016
(विनोद शर्मा)
सचिव।